



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124579

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5508 वर्ष 2026

कृष्ण चौहान

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : आशीष गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अंजलि गुप्ता, जी.ए., ऋत्विज सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री आशीष गुप्ता, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री ऋत्विज सिंह और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता-कृष्ण चौहान ने दायर की है। इसमें 8 मई, 2026 को दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा जमानत अर्जी संख्या 1662/2026 (कृष्ण चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 04/2026 से जुड़ा है, जो महिला थाना, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर में बी.एन.एस.. की धाराओं 64 (2) (एम), 70, 352, 351 (3), 123, आई.टी. अधिनियम की धारा 66 (ई) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं 3 (2) (वी), 3 (2) (वी-ए), 3 (1) (द), 3 (1) (ध) के तहत दर्ज किया गया था। साथ ही, अपीलकर्ता को उक्त मामले में जमानत पर रिहा करने की भी मांग की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीड़िता पहले आरोपी-अपीलकर्ता, यानी कृष्णा चौहान की कंपनी में काम करती थी। 2 जनवरी, 2024 को सुबह 8:30 बजे पीड़िता को अपीलकर्ता/आरोपी का फ़ोन आया, जिसमें कहा गया कि उसे सेक्टर संख्या 63 स्थित मुख्य कार्यालय जाना है। जब पीड़िता वहाँ पहुँची, तो वहाँ कोई नहीं था। दस मिनट बाद, अपीलकर्ता-आरोपी वहाँ आया और फ़ाइलिंग की प्रक्रिया समझाई। पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा दी गई, जिससे वह बेहोश हो गई। जब पीड़िता को होश आया, तो वह केवल एक चादर से ढकी हुई थी और उसके बाकी सभी कपड़े उतार दिए गए थे। पीड़िता ने उस समय आरोपी-अपीलकर्ता से पूछा, तो उसने उसे उसकी अश्लील तस्वीरें दिखाईं। इसके बाद पीड़िता को सेक्टर संख्या 63 स्थित कार्यालय बुलाया गया, जबरन शराब पिलाई गई और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। अप्रैल 2025 में, आरोपी-अपीलकर्ता पीड़िता को ओयो होटल ले गया। जब पीड़िता ने आरोपी-अपीलकर्ता से इस बारे में सवाल किया, तो उसने कहा कि उसके जैसी महिला तो बस पैसे फेंककर ही मिल सकती है। इसके बाद, जब शिकायत करने वाली महिला ने शिकायत की, तो आरोपी-अपीलकर्ता ने उसे पुलिस को दी गई अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी दी। एक दिन, जितेंद्र शर्मा ने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वीडियो कॉल के दौरान बंदूक दिखाई और महिला के साथ बदसलूकी की। मोहित शर्मा ने भी उसे फोन करके धमकी दी। मोहित शर्मा और जितेंद्र शर्मा ने पीड़िता को फोन करके धमकी दी और उसके साथ रेप करने की बात कही। 28 अगस्त, 2025 को, आरोपी-अपीलकर्ता ने महिला से मारपीट करने के लिए एक महिला बाउंसर को बुलाया।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि एफ.आई.आर. और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों के अनुसार, पहली घटना 2 जनवरी, 2024 को और आखिरी घटना 27 अगस्त, 2025 को हुई थी। वहीं, एफ.आई.आर. 10 मार्च, 2026 को बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत एक आवेदन के ज़रिए दर्ज की गई थी, जिसे 28 अक्टूबर, 2025 को दायर किया गया बताया गया है। इसका मतलब है कि पहली घटना की तारीख से एक साल से ज़्यादा और आखिरी घटना की तारीख से लगभग पाँच महीने की देरी हुई है, जिसके लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान के अनुसार, पीड़िता आरोपी-अपीलकर्ता के साथ कई जगहों पर गई थी, और चार बार तो वह ओयो होटल भी गई थी, लेकिन इस पूरे समय के दौरान पीड़िता ने कभी भी यह शिकायत नहीं की कि आरोपी-अपीलकर्ता ने उसका यौन शोषण किया है। जांच के दौरान यह बात भी साबित हो गई है कि शिकायतकर्ता महिला अपनी मर्जी से आरोपी-अपीलकर्ता के साथ चार बार ओयो होटल गई थी, क्योंकि होटल के रजिस्टर में आरोपी-अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के नाम दर्ज पाए गए हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि असल बात यह है कि शिकायतकर्ता और आरोपी-अपीलकर्ता के बीच आपसी सहमति से संबंध थे, लेकिन शिकायतकर्ता की सैलरी न बढ़ाने की वजह से (जो आरोपी-अपीलकर्ता ने नहीं बढ़ाई, जबकि वह उस कंपनी का मालिक था जहाँ वह काम करती थी) यह आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है और आरोपी-अपीलकर्ता को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसमें फँसाया गया है। चूँकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध का कोई मामला नहीं बनता है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में सुप्रीम न्यायालय के इन फैसलों का हवाला दिया है: **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य** (एआईआर 2019 एससी 4010), **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 347), **दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य** (एआईआर 2013 एससी 2071) .और **नितिन बी. निखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** (क्रिमिनल अपील संख्या.../2025, जो एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 1889/2024 से जुड़ी है और जिस पर 21 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया गया था, पैरा संख्या 6)।

5. इसके अलावा, अपील करने वाले के अधिवक्ता का कहना है कि अपील करने वाले का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 30 अप्रैल, 2026 से जेल में है। एफ.आई.आर. और बी.एन.एस.. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि अपील करने वाले ने पीड़िता को गाली देने के लिए किसी खास जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया हो। इसलिए, अपील करने वाले के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट के तहत भी कोई मामला नहीं बनता है।

6. प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता का कहना है कि अगर आरोपी-अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश ए.जी.ए. ने अपील और ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि एफ.आई.आर. और बी.एन.एस.. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों के अनुसार, अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच संबंध पहली नज़र में आपसी सहमति से बने लगते हैं।

8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय मानती है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. अपीलकर्ता-कृषा चौहान को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मुकदमा अपराध संख्या में ज़मानत पर रिहा किया जाए, साथ ही न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू की जा रही हैं:-

i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाएगा या परेशान करेगा।

ii) अपील करने वाला व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में पेश होगा और मुकदमे के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति एक लिखित वचन (अंडरटेकिंग) देगा कि सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर, जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) अपीलकर्ता ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपीलकर्ता विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 / सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर अपीलकर्ता ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 209/भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(v) अपील करने वाले को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) धारा 251 बीएनएसएस/313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपील करने वाले की अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय सेक्शन 269 बीएनएसएस/229-ए भारतीय दंड संहिता के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपील करने वाले की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश कर सकता है।

10. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी। अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंज़ूर किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. गौतम बुद्ध नगर के दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट) द्वारा जमानत अर्जी संख्या 1662/2026 (कृष्ण चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में 8 मई, 2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। यह अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 04/2026 से जुड़ी थी, जो महिला थाना, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में बी.एन.एस.. की धारा 64 (2) (एम), 70, 352, 351 (3), 123, आई.टी. एक्ट की धारा 66 (ई) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति. एक्ट की धारा 3 (2) (वी), 3 (2) (वी-ए), 3 (1) (द), 3 (1) (ध) के तहत दर्ज किया गया था।

2 जून, 2026

सुशील/-

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।